

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व-संघन, सम्पाद्यवाची, पंच-निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए वथा उसके समस्त नागरिकों को:

सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय,

विचार, अधिहन्यमित, विश्वास, धर्म

और उपासना की स्वतंत्रता,

प्रतिष्ठा और अवसर की समता

आप्त कराने के लिए,

तथा उन सब घेरे व्यक्ति की गरिमा और

राष्ट्र की एकता और अखंडता

सुनिश्चित करने वाली चंचुला बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा घेरा आज
लारीख 26 नवंबर, 1949 है (मिति म्यामिनीर्ख शुक्रवार
सप्तमी, संवत् दो हजार सह विक्रमी) को एतद्वद्वारा
इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और
आत्मार्पित करते हैं।